न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर

पीठासीन अधिकारी: कविता गोदारा, आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या: 62 / 2024

जफर मोहम्मद शाह पुत्र स्व. हसन शाह जाति मुसलमान निवासी गांव जलालसर तहसील व जिला बीकानेर।

प्रार्थी...

–:बनाम:–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान

अप्रार्थी..

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति अभिभाषक:

1. श्री कर्णसिंह तंवर, प्रार्थी की ओर से।
2. पेरोकारराज, राज्य की ओर से।

दिनांक: 06.09.24

–:निर्णय:–

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि की प्रार्थी की ओर से उनके विद्वान अभिभाषक श्री करण सिंह तंवर ने उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर. टी.एक्ट दिनांक 21.06.2024 इस आशय का पेश किया कि पीरू खां पुत्र बिड़दे खां के कब्जा काश्त में सम्वत् 2012 के पूर्व से भोगताओं के समय से ग्राम खींचिया की रोही में खसरा नंबर 40/6 की 40 बीघा भूमि चली आ रही थी। पीरू खां का स्वर्गवास हो गया है। पीरू खां ने अपने जीवनकाल में ही खं.न. 40/6 की 40 बीघा भूमि प्रार्थी के नाम से वसीयत कर दी थी। प्रार्थी, पीरू खां के जीवनकाल में उसके साथ ही रहता था तथा पीरू खां के स्वर्गवास के पश्चात से वादी वसीयत के आधार पर आराजी मुतनाजा का एकमात्र मालिक व काश्तकार की हैसियत से काबिज होकर काश्त कर रहा है। जागीरी के समय ग्राम खींचियों की रोही के ख.नं.

उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर

40 की 141 बीघा भूमि जुगल सिंह भोगता के नाम से थी जिसके 40 बीघा पर पीरू खां काश्त करता था तथा लगान आदि भोगता को जमा करवाता था। आराजी मुतनाजा सम्वत् 2018 तक जुगलसिंह के नाम चलती रही तथा संवत् 2018 में खाता खुद काबिज का मानकर आराजी राज कर दी गई तथा कब्जा काश्त के आधार पर संवत् 2022 में पीरू खां के नाम से 40 बीघा भूमि का साला आवंटत कर दी गई। जिसका नवीनीकरण लगातार संवत 2028 तक होता रहा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना आने के पश्चात पीरू खां के कब्जा काश्त की भूमि चक 3 के.एच.एम. के मुरब्बा नंबर 126 / 16 के किला नं. 16 ता 19 तादादी 4 बीघा व किला नं. 22 ता 25 तादादी 4 बीघा एवं मुरब्बा नं. 126 / 24 के किला नं. 9 ता 13 तादादी 5 बीघा व किला नं. 17 ता 24 तादादी 8 बीघा एवं मुरब्बा नं. 127 / 9 के किला नं. 2 ता 9 तादादी 8 बीघा व किला नं. 12 ता 19 तादादी 8 बीघा व किला नं. 23 ता 25 तादादी 3 बीघा इस प्रकार कुल 40 बीघा भूमि फटी हुई तथा इसी पर प्रार्थी का कब्जा काश्त शान्तिपूर्वक लगातार चलता आ रहा है। इसी दौरान आराजी मुतनाजा जिप्सम कम्पनी को लीज पर दे दी गई। मगर आज तक प्रार्थी के कब्जा काश्त में है न तो जिप्सम कभी निकाला गया और न ही प्रार्थी को कभी बेदखल किया गया। आराजी को वादी बोनाफाईडली अपनी गैर खातेदारी भूमि समझकर काश्त करता आ रहा है। बीकानेर जिप्सम कम्पनी की लीज सन 1998 में समाप्त हो गई है तथा बीकानेर जिप्सम कम्पनी ने आराजी मुतनाजा को वापिस राज्य सरकार को हैंडअवर कर चुकी है। अब जिप्सम कम्पनी का आराजी मुतनाजा में न तो कोई हित है न ही हो सकता है। प्रार्थी संवत 2012 के पूर्व से आराजी मुतनाजा पर काबिज होकर शान्तिपूर्वक काश्त करता आ रहा है। प्रार्थी बॉय ऑपरेशन ऑफ लॉ आराजी मुतनाजा का खातेदार काश्तकार हो चुका है। आराजी मुतनाजा पूर्व में बीकानेर

उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर

जिप्सम कम्पनी में लीज पर थी इसलिए तहसील कार्यालय द्वारा प्रार्थी को कभी खेत मुतनाजा से बेदखल नहीं किया गया। मगर सन 1998 में जिप्सम कम्पनी की लीज समाप्त हो गई है इसलिए दिनांक 01.05.2024 को हल्का पटवारी ने खेत मुतनाजा पर आकर बताया कि आराजी मुतनाजा वापिस राज्य सरकार को मिल गई है। इसलिए अब तुम इस पर काश्त नहीं करना वरना जबरदस्ती बेदखल कर दिए जाओगे। हल्का पटवारी की धमकी पर भी वादी ने खेत मुतनाजा का कब्जा छोड़ने से इन्कार कर दिया तो हल्का पटवारी नाराज हो गया तथा येन केन प्रकरेण आराजी मुतनाजा पर वादी के शान्तिपूर्वक चले आ रहे कब्जे काश्त को ईनवेड करने के लिए थ्रेटन कर रहा है इसलिए प्रार्थी, अप्रार्थी के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हकदार है। अप्रार्थी दौराने वाद ही प्रार्थी को आराजी जैर बहस से बेदखल करने पर उतारू है। जिसके लिए प्रार्थी को हल्का पटवारी द्वारा बार–बार बेदखल करने की धमकी दी जा रही है। प्राईमा फेसाई केस तथा बेलेन्स ऑफ कन्वीनियस प्रार्थी के हक में है। आज भी मौके पर प्रार्थी की फसल खड़ी है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थी इस अमर की जारी की जावे कि चक 3 के.एच.एम. के मुरब्बा नंबर 126 / 16 के किला नं. 16 ता 19 तादादी 4 बीघा व किला नं. 22 ता 25 तादादी 4 बीघा एवं मुरब्बा नं. 126 / 24 के किला नं. 9 ता 13 तादादी 5 बीघा व किला नं. 17 ता 24 तादादी 8 बीघा एवं मुरब्बा नं. 127 / 9 के किला नं. 2 ता 9 तादादी 8 बीघा व किला नं. 12 ता 19 तादादी 8 बीघा व किला नं. 23 ता 25 तादादी 3 बीघा इस प्रकार कुल 40 बीघा भूमि प्रार्थी के शान्तिपूर्वक चले आ रहे कब्जा काश्त में अप्रार्थी दखल नहीं देवे ना ही बेदचाल करे, ना ही ऐसा तर्क या फैल करे जिससे प्रार्थी के अधिकारों पर विपरीत असर पड़ता हो।

उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर

बहस अभिभाषक प्रार्थी प्रार्थना–पत्र पर सुनी गयी। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि पीरू खां पुत्र बिड़दे खां के कब्जा काश्त में सम्वत् 2012 के पूर्व से भोगताओं के समय से ग्राम खींचिया की रोही में खसरा नंबर 40/6 की 40 बीघा भूमि चली आ रही थी। पीरू खां का स्वर्गवास हो गया है। पीरू खां ने अपने जीवनकाल में ही खं.न. 40/6 की 40 बीघा भूमि प्रार्थी के नाम से वसीयत कर दी थी। प्रार्थी, पीरू खां के जीवनकाल में उसके साथ ही रहता था तथा पीरू खां के स्वर्गवास के पश्चात से वादी वसीयत के आधार पर आराजी मुतनाजा का एकमात्र मालिक व काश्तकार की हैसियत से काबिज होकर काश्त कर रहा है। इसी दौरान आराजी मुतनाजा जिप्सम कम्पनी को लीज पर दे दी गई। मगर आज तक प्रार्थी के कब्जा काश्त में है न तो जिप्सम कभी निकाला गया और न ही प्रार्थी को कभी बेदखल किया गया। प्रार्थी बॉय ऑपरेशन ऑफ लॉ आराजी मुतनाजा का खातेदार काश्तकार हो चुका है। आराजी मुतनाजा पूर्व में बीकानेर जिप्सम कम्पनी में लीज पर थी इसलिए तहसील कार्यालय द्वारा प्रार्थी को कभी खेत मुतनाजा से बेदखल नहीं किया गया। मगर सन 1998 में जिप्सम कम्पनी की लीज समाप्त हो गई है इसलिए दिनांक 01.05.2024 को हल्का पटवारी ने खेत मुतनाजा पर आकर बताया कि आराजी मुतनाजा वापिस राज्य सरकार को मिल गई है। इसलिए अब तुम इस पर काश्त नहीं करना वरना जबरदस्ती बेदखल कर दिए जाओगे। हल्का पटवारी की धमकी पर भी वादी ने खेत मुतनाजा का कब्जा छोड़ने से इन्कार कर दिया तो हल्का पटवारी नाराज हो गया तथा येन केन प्रकरेण आराजी मुतनाजा पर वादी के शान्तिपूर्वक चले आ रहे कब्जे काश्त को ईनवेड करने के लिए थ्रेटन कर रहा है इसलिए प्रार्थी, अप्रार्थी के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हकदार है। अप्रार्थी दौराने वाद ही प्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर

को आराजी जैर बहस से बेदखल करने पर उतारू है। जिसके लिए प्रार्थी को हल्का पटवारी द्वारा बार–बार बेदखल करने की धमकी दी जा रही है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थी इस अमर की जारी की जावे कि चक 3 के.एच.एम. के मुरब्बा नंबर 126/16 के किला नं. 16 ता 19 तादादी 4 बीघा व किला नं. 22 ता 25 तादादी 4 बीघा एवं मुरब्बा नं. 126/24 के किला नं. 9 ता 13 तादादी 5 बीघा व किला नं. 17 ता 24 तादादी 8 बीघा एवं मुरब्बा नं. 127/9 के किला नं. 2 ता 9 तादादी 8 बीघा व किला नं. 12 ता 19 तादादी 8 बीघा व किला नं. 23 ता 25 तादादी 3 बीघा इस प्रकार कुल 40 बीघा भूमि प्रार्थी के शान्तिपूर्वक चले आ रहे कब्जा काश्त में अप्रार्थी दखल नहीं देवे ना ही बेदचाल करे, ना ही ऐसा तर्क या फैल करे जिससे प्रार्थी के अधिकारों पर विपरीत असर पड़ता हो।

बहस अभिभाषक प्रार्थी पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पीरू खां पुत्र बिड़दे खां के कब्जा काश्त में सम्वत् 2012 के पूर्व से भोगताओं के समय से ग्राम खींचिया की रोही में खसरा नंबर 40/6 की 40 बीघा भूमि का कब्जा होने का कथन किया गया है। उक्त कथन के संबंध में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी उक्त भूमि के एक साला आवंटी के रूप में दर्ज रिकार्ड है, जिसके आधार पर प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के हक में प्रतीत नहीं होता है तथा एक साला आवंटी की हैसियत से प्रार्थी के हक में सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति कारित होने का बिन्दु भी साबित नहीं होता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मूल वाद के तहत बाद साक्ष्य परीक्षण हकों का निर्धारण किया जाना है, उक्त प्रार्थना–पत्र के तहत प्रार्थी किसी अनुतोष का हकदार साबित नहीं होता है।

उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर

उपखण्ड अधिकारी बीकानेर

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्याः 62 / 2024

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना–पत्र प्रार्थी आधारहीन एवं सारहीन होने से खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 04/04/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरतीब तक्मील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी बीकानेर

(कविता गोदारा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर